FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

अनन्तराम वगै **बनाम** राज0 सरकार वगै0

किस्म मुकदमा— स्थगन प्रा.पत्र नम्बर———18———सन्— 2025

तारीक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.03.2024	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम नांगल चांपा तहसील भांडारेज के रहने वाले है। ग्राम नांगल चांपा में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 321 रकबा 0.83है. स्थित है। उक्त भूमि में आने जाने का रास्ता मैन रोड से सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 383 में होकर है। प्रार्थीगण बुजुर्गो के समाने से खसरा नंबर 383 में होकर मैन रास्ते से खसरा नंबर 321 में आते जाते रहे है एवं वर्तमान में भी उक्त भूमि में होकर आवागमन है। खसरा नंबर 383 में उपर जो मैन रास्ता है वह खसरा नंबर 382 है व उसके दूसरी तरफ खसरा नंबर 356 है जो गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज है। अप्रार्थी चिरंजीलाल पुत्र रेवडा जो कि बहुत ही चालाक व होशियार किस्म का व्यक्ति है उसने चुपचाप में बिना कोई आवंटन हुए एक नामान्तरण गैर खातेदारी का सं0 37 दिनांक 18.6.1992 को तत्कालीन राजस्व अधिकारियों से मिलकर कथित आवंटन दिनांक 29.6.1989 के आवंटन का उल्लेख करते हुए अपने नाम करवा लिया व उसके पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये जबकि दिनांक 29.6.1989 को किसी प्रकार का आवंटन हुआ ही नहीं। अप्रार्थी चिरंजीलाल उक्त आवंटन व नामान्तरण की आड में प्रार्थीगण को हैरान व परेशान कर रहे है। साथ ही आवंटन की आड में अप्रार्थीगण उक्त भूमि को रहन बय व हस्तान्तरण करने पर आमादा है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि वो भूमि खसरा नंबर 383 वाके ग्राम नांल चांपा में निर्माण कार्य करने, रास्ता बंद करने व रहन, बय व हस्तान्तरण प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 के अंतिम निर्णय तक प्रतिबंधित रहे। स्थगन प्रा0पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 की मूल पत्रावली एवं स्थगन प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। सुविधा का संतुलन, प्रथम दृष्ट्या प्रकरण व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने के कारण यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल किया जाकर प्रा. पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 की मूल पत्रावली के शामिल रहे। खुले न्यायालय सुनाया गया। जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:01:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official